जनपद सोनभद्र पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक–04.06.2026

मानव तस्करी के संगठित गिरोह पर सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार
नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर विभिन्न राज्यों में बेचने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार
आगरा व जयपुर तक फैले मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा, लाखों रुपये के लेन-देन की जानकारी प्राप्त

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन मे, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के कुशल मार्गदर्शन मे, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना रावर्ट्सगंज के नेतृत्व में महिला एवं बाल अपराधों तथा मानव तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रावर्ट्सगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना रावर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2026 धारा 137(2), 143(4), 98, 61(2), 64(2)(m) बी.एन.एस. एवं धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित **वांछित 02 अभियुक्तगण को** दिनांक 04.06.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए रावर्ट्सगंज फ्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार कर मानव तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है।

पूछताछ एवं विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगणों ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर विभिन्न राज्यों में मानव तस्करी गिरोह के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कई व्यक्तियों को सौंपा/बेचा। इस दौरान बालिका का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया गया। गिरोह के सदस्यों द्वारा बालिका के बदले लाखों रुपये का लेन-देन किया जाना भी प्रकाश में आया है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रथम दृष्टया सिद्ध पायी गयी, जिसके आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। पुलिस द्वारा गिरोह नेटवर्क की विस्तृत जांच एवं अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विपिन पुत्र रमाशंकर उर्फ गन्नू निवासी दुमदुमा थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 24 वर्ष।
2. काजल उर्फ मंजू पत्नी पवन चौधरी पुत्री स्व0 रामप्रीत निवासी खरौंधी थाना कोन जनपद सोनभद्र हाल पता CN 73 अम्बेडकरनगर राम नारायण जायसवाल के मकान मे थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 109/2026, धारा 137(2), 143(4), 98, 61(2), 64(2)(m) बी.एन.एस. एवं धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

01. उ0नि0 योगेन्द्र पाण्डेय, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
02. हे0का0 संजीव राय, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
03. हे0का0 संदीप राय, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
04. का0 मनीष यादव, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
05. म0का0 आकृति मिश्रा, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।